आपके भविष्य के कानूनी, स्वास्थ्य एवं वित्तीय निर्णयों के लिए प्लेनिंग एहेड टूल्स (आगे की योजना बनाने के साधन)

NSW GOVERNMENT

लिखित या मुद्रित (प्रिंट) रूप में तैयार करायें

☑ वसीयतनामा (Will) तैयार करें

वसीयतनामा क्या होता है और किन लोगों को वसीयत करनी चाहिए?
वसीयतनामा एक कानूनी दस्तावेज़ होता है जो यह निर्धारित करता है कि आपके स्वर्गवास हो जाने के बाद आपकी इच्छानुसार आपकी जायदाद (सम्पत्ति, पूँजी और आपके सामान) का बँटवारा किस प्रकार किया जाएगा। यह सुझाव दिया जाता है कि 18 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को वसीयत बनानी चाहिए।

क्या मैं अपना वसीयतनामा बदल सकता/सकती हूँ?
आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों के होने के समय अपनी वसीयत की समीक्षा करनी और उसे अपडेट करना (सामयिक बनाना) चाहिए - इन महत्वपूर्ण बदलावों में विवाह या तलाक होना, बच्चे पैदा होना और घर या व्यवसाय खरीदना शामिल है।

एक्सिक्यूटर (वसीयत प्रबंधक) कौन होता है?
एक्सिक्यूटर वह व्यक्ति होता है जो आपके स्वर्गवासी होने के पश्चात आपकी जायदाद का प्रबंध करता है। वे आपकी वसीयत में दर्शाई गई आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। एक्सिक्यूटर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको योग्य, विश्वसनीय और भरोसेमंद लगता हो, और साथ ही जो विवाद होने की परिस्थिति में निष्पक्ष बने रहने में सक्षम हो।

क्या मैं स्वयं अपनी वसीयत लिख सकता/सकती हूँ?
हाँ, परन्तु इसे वैध बनाने के लिए कुछ कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना ज़रूरी है। अपनी वसीयत तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी इच्छाओं को स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, आपको अपने स्थानीय सॉलिसिटर (वकील) जैसे किसी व्यवसायी अथवा NSW ट्रस्टी एवं गार्डियन (NSW Trustee & Guardian) की सहायता लेनी चाहिए।

यदि बिना वसीयत बनाए ही मेरा स्वर्गवास हो जाता है, तो क्या होता है?
यदि बिना वसीयत बनाए आपका स्वर्गवास हो जाता है (इसे इन्टेस्टेट [निर्वसीयत] कहा जाता है), तो आपकी परिसम्पत्ति को पूर्व-निर्धारित सरकारी नियम के अनुसार विभाजित किया जाएगा, जिससे परिवार के कुछ सदस्यों को आपकी परिसम्पत्ति में से निश्चित प्रतिशत भाग प्राप्त होगा। यदि निर्वसीयत ही आपका स्वर्गवास हो जाता है और आपके पीछे आपके कोई रिश्तेदार नहीं हैं, तो सरकारी नियम के अनुसार, राज्य सरकार को आपकी सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

यदि मैं अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाता/दर्शाती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए मेरी क्या इच्छाएँ हैं, तो क्या होता है?
बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से इच्छा को व्यक्त न करने के परिणामस्वरूप आपकी वसीयत को अमान्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए एक या एक से अधिक गार्डियन (संरक्षकों) को नामांकित न करने के परिणामस्वरूप उनकी देखरेख से संबंधित निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है।

यदि मैंने विदेश या अंतर्राज्य से NSW में स्थानांतर किया है और मैंने वहाँ वसीयत बनाई थी जहाँ मैं पहले रहता था/रहती थी, तो क्या मुझे नई वसीयत तैयार करने की ज़रूरत होगी?
विदेशी और अंतर्राज्यीय कानून भिन्न-भिन्न होने के परिणामस्वरूप, यह आवश्यक है कि आप अपने स्थायी निवास के देश या राज्य में अपनी वसीयत (Will) बनाएँ ताकि आपकी संपूर्ण परिसम्पत्ति को शामिल किया जा सके।

☑ पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney - मुख्तारनामा) तैयार करना

पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है?
पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज़ होता है जिसके द्वारा आप किसी अटॉर्नी (मुख्तार) को अपने वित्तीय मामलों और आपकी ओर से कानूनी तौर पर बाध्यकारी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने जैसे कुछ कानूनी मामलों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त करते/करती हैं। अटॉर्नी आपकी जीवन-शैली, आपको प्राप्त होने वाले चिकित्सीय उपचार या आपके कल्याण से संबंधित निर्णय नहीं ले सकता है। आपके स्वर्गवास हो जाने पर पावर ऑफ अटॉर्नी का लागू होना समाप्त हो जाता है।

एक आर्डिनरी (सामान्य) पावर ऑफ अटॉर्नी और एक एंडयुरिंग (स्थायी) पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या अंतर है?
सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी का लागू रहना व्यक्ति की मानसिक क्षमता के खोने पर समाप्त हो जाता है। स्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी का आपके द्वारा अपने स्वयं के मामलों का प्रबंध करने की क्षमता के खोने के पश्चात भी लागू रहना जारी रहता है। आप इन दोनों में से कोई एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते/सकती हैं, परन्तु आपको भविष्य में हो सकने वाली अक्षमता या अपनी बढ़ती हुई आयु को ध्यान में रखते हुए स्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी पर विचार करना चाहिए। अपनी मानसिक क्षमता के खोने के पश्चात आपके द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने में बहुत देर हो चुकी होती है। यदि अब आप अपने वित्तीय मामलों का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हैं और आपकी कोई स्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है तो आपके मामलों के वित्तीय प्रबंधक को नियुक्त करने के लिए गार्डियनशिप डिवीजन ऑफ एन.एस.डब्ल्यू. सिविल एंड ऐडमनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल (Guardianship Division of NSW Civil & Administrative Tribunal - NCAT) या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को आवेदन करना ज़रूरी हो सकता है।

कोई अटॉर्नी (मुख्तार) मेरे वित्तीय मामलों का प्रबंध कब कर सकता है?
आपके अटॉर्नी को या तो विकल्प द्वारा (उदाहरणत:, आपके लम्बी अवधि के लिए विदेशी यात्रा पर जाने पर) या फिर रोग के कारण स्वयं से निर्णयों को लेने की अपनी क्षमता के खोने पर एक्टिवेट (सक्रिय) किया जा सकता है।

➡

अपने अटॉर्नी (मुख्तार) के तौर पर मैं किसे नियुक्त कर सकता/सकती हूँ?
यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जिसपर आप भरोसा करते/करती हों और जो आपकी इच्छाओं को समझता हो। अटॉर्नी के पास आपके वित्तीय मामलों का प्रबंध करने और आपके श्रेष्ठ हितों के अनुसार कदम उठाने की योग्यताएँ और कौशल होना चाहिए। आप अपने सॉलिसिटर (वकील), किसी ट्रस्टी संस्था या अपने जीवन से संबंधित किसी व्यक्ति को अपने ट्रस्ट के तौर पर नियुक्त कर सकते/सकती हैं।

क्या पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार किए जाने के पश्चात मैं अपनी पूँजी पर नियंत्रण खो दूँगा/दूँगी?
नहीं। अटॉर्नी की नियुक्ति चुने गए व्यक्ति-विशेष को औपचारिक रूप से यह अधिकार देती है कि वह आपके निर्देशों के अनुसार आपके वित्तीय और कानूनी मामलों का प्रबंध करें।

मैं पावर ऑफ अटॉर्नी को किस प्रकार और कब रद्द कर सकता/सकती हूँ?
यदि आपके पास ऐसा करने की क्षमता है तो आप किसी भी समय इसे रद्द (खंडित) कर सकते/सकती हैं। ऐसा करने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, आपको अपने अटॉर्नी (मुख्तार) को एक पत्र लिखकर उन्हें सूचित करना चाहिए कि उनकी अपॉइंटमेंट (नियुक्ति) समाप्त हो रही है। पत्र की एक प्रति अपने पास रखें और बदलावों की सूचना अपने बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं को दें। यदि आपने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) के लिए रजिस्टर (पंजीकृत) किया है, तो आपको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी में होने वाले किन्हीं बदलावों को भी रजिस्टर (पंजीकृत) करना चाहिए।

✔ स्थायी संरक्षक (Enduring Guardian - एंड्युरिंग गार्डियन) को नियुक्त करना

स्थायी संरक्षक क्या होता है और मुझे एक स्थायी संरक्षक को क्यों नियुक्त करना चाहिए?
स्थायी संरक्षक वह व्यक्ति होता है जिसका चयन आप आवास एवं सेवाओं जैसे जीवन-शैली और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए करते/करती हैं। स्थायी संरक्षक का प्रयोग केवल तब ही किया जाता है जब आप अक्षमता के परिणामस्वरूप अपने खुद के निर्णय नहीं ले सकते/सकती हैं। स्थायी संरक्षक की नियुक्ति आपके और आपके परिवार के लिए मतभिन्नता और तनाव को दूर कर सकती है और यह सुनिश्चित करती है कि इस बात पर आपका नियंत्रण है कि आपकी ओर से निर्णय कौन व्यक्ति लेता है। स्थायी संरक्षक आपकी ओर से वसीयत तैयार या उसमें बदलाव नहीं कर सकता है, वह आपके धन या आपकी परिसम्पत्ति के बारे में निर्णय नहीं ले सकता है, और आपके द्वारा चिकित्सीय या डेंटल (दंत्य) उपचार को नामंज़ूर करने की परिस्थिति में वह इसके लिए सहमति नहीं दे सकता है।

मैं किसी स्थायी संरक्षक को किस प्रकार नियुक्त कर सकता/सकती हूँ?
स्थायी संरक्षक को नियुक्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि आप ‘Form of Appointment (अपॉइंटमेंट प्रपत्र)’ पूरा करें जो **planningaheadtools.com.au**. पर उपलब्ध है। यह आवश्यक है कि आप और आपके स्थायी संरक्षक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करें और अपने हस्ताक्षरों को गवाहों द्वारा प्रमाणित कराएँ (जैसा कि प्रपत्रों में दर्शाया गया है)। आप एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते/सकती हैं।

स्थायी संरक्षक कौन हो सकता है?
निर्णय लेने वाली इस भूमिका के महत्वपूर्ण स्वरूप के कारण, यह आवश्यक है कि आपके द्वारा नियुक्त व्यक्ति एवज (वैकल्पिक) निर्णय लेने वाले एक व्यक्ति के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। आपका स्थायी संरक्षक कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसपर आपको यह भरोसा हो कि उसमें आपके विचारों और आपकी पुरानी जीवन-शैली के विकल्पों को ध्यान में रखने की और आपके श्रेष्ठ हितों के अनुसार निर्णय लेने की योग्यता है।

क्या मेरे द्वारा नामांकित किए गए गार्डियन (संरक्षक) को बदला जा सकता है या उसे रद्द किया जा सकता है?
जब तक आपके पास क्षमता है, आप रिवोकेशन फॉर्म (निरसन प्रपत्र) को पूरा करके और इसे अपने संरक्षक को देकर अपने स्थायी संरक्षक को रद्द कर सकते/सकती हैं। यदि आपके पास क्षमता नहीं है, तो केवल NSW गार्डियनशिप डिवीजन (Guardianship Division - NCAT) या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ही गार्डियनशिप (संरक्षकता) को रद्द कर सकता है। आपके विवाह करने की स्थिति में संरक्षकता रद्द होने की प्रक्रिया अपने आप लागू हो जाएगी और आपके लिए अपॉइंटमेंट के एक नए प्रपत्र को भरना आवश्यक होगा।

कानूना क्षमता क्या होती है?
NSW का कानून यह मानता है कि हर किसी व्यक्ति में निर्णय लेने की मानसिक क्षमता होती है। अर्थात, वे उन्हें प्रस्तुत की गई जानकारी को समझते हैं और उसका आंकलन कर सकते हैं, उचित निर्णय ले सकते हैं और अपने विकल्पों के बारे में स्पष्ट रूप से संचार कर सकते हैं। परन्तु, क्षमता किसी रोग या दवा के प्रभावों के परिणामस्वरूप अस्थायी तौर पर, अथवा बौद्धिक विकलांगता, डिमेंशिया (मनोभ्रंश रोग) या दिमागी चोट जैसी समस्याओं के परिणामस्वरूप स्थायी तौर पर प्रभावित हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसा न माना जाए कि कोई व्यक्ति स्मरण-शक्ति संबंधी समस्याओं या विकलांगता से ग्रस्त होने के परिणामस्वरूप अपने खुद के निर्णय नहीं ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति की क्षमता के बारे में आपकी कोई शंकाएँ हैं, तो आपको किसी स्वास्थ्य व्यवसायी से आंकलन किए जाने का निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार के आंकलन के लिए आपको उस व्यक्ति के डॉक्टर से रेफरल (संप्रेषण) का निवेदन करना चाहिए। आगे की योजना बनाने के लिए, यह माना जाना चाहिए कि आपमें ऐसा करने की क्षमता है।

Planning Ahead (प्लेनिंग एहेड - आगे की योजना) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए **planningaheadtools.com.au** देखें या **1300 887 529**. पर फोन करें। यदि आपको किसी दुभाषिए की सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service - TIS) को 131 450 पर फोन करके उन्हें Planning Ahead Tools (प्लेनिंग एहेड टूल्स) के 1300 887 529 नम्बर से संपर्क करने का निवेदन करें।